महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-60/2016/94सी.एम./33-3-2016-21सी.एम./2016

प्रेषक,

चंचलकुमार तिवारी,
प्रमुखसचिव,
उत्तरप्रदेश शासन।

सेवामें,

1- **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
उत्तरप्रदेश।

2- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी/
अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 05 अक्टूबर, 2016**

विषय- मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.3.2012 से आज तक पंचायत विभाग/जिला पंचायत से संबंधित की गयी अपूर्ण घोषणाओं को पूर्ण मानेजाने केसंबंध में कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्तविषयक संयुक्त सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पत्रसंख्या-मु.म.स./428/चौंतीस/घोषणा/2016, दिनांक 24.8.2016की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआहै कि मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.3.2012 से आज तक पंचायत विभाग/जिला पंचायतसे संबंधित की गयी अपूर्ण घोषणाओं को पूर्ण माने जाने हेतुयह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा अन्तर्गत जो भी कार्यकराये जायें, उनके साइनेज (बोर्ड) पर निम्नलिखित सूचनाअंकित कराने तथा निर्माण कार्य सहित साइनेज के फोटोग्राफ संबंधितघोषणा के समक्ष अपलोड कराकर स्वंय के हस्ताक्षर से घोषणाको पूर्ण माने जाने का अनुरोध पत्र मूल फोटोग्राफ एवं जनपयोगी होनेका प्रमाण पत्र घोषणा प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराये जाने कीअपेक्षा की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इससंबंध में निम्न प्रारूप में सूचना अपलोड की जायेगी:-

"मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित कार्य"

कार्यदायी संस्था का नाम.....

निर्माण लागत.....

कार्य प्रारम्भ होने का दिनांक.....

कार्य समाप्त होने का दिनांक.....

3- यहभी अनुरोध है कि विभाग से संबंधित जनपद में की गयी घोषणाओंके पूर्ण होने का प्रमाण पत्र उक्त निर्देश के अनुसार कार्यवाही करते हुएजिलाधिकारी के हस्ताक्षर से उक्त प्रारूप में सूचना अपलोड करके, वांछितसूचना मुख्यमंत्री घोषणा प्रकोष्ठ को एक पक्ष में उपलब्धकराते हुए शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रश्नगतप्रकरण महत्वपूर्ण है। अत: आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुखसचिव।

संख्या-94सी.एम.(1)/33-3-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक,पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मिशननिदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश।
3. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ।
4. संयुक्तसचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एस. पी. सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in